



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-25

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 253116 दिनांक 20/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nisha Meena S/o MUKESH KUMAR MEENA	श्रीमती निशा मीना पत्नि श्री मुकेश कुमार मीना	83	200.00 SQ. YARD	Private	GAYATRI ENCLAVE Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदार की योजना गायत्री एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 83 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 04.11.2009 को श्री सुदर्शन प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री किशन स्वरूप अग्रवाल के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 83 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 09.09.2013 को श्री सुदर्शन प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री किशन स्वरूप अग्रवाल के द्वारा श्रीमती साधना सिंघल पत्नि श्री सुरेश सिंघल को किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय-पत्र के
द्वारा दिनांक
09.04.2014 को
श्रीमती साधना
सिंघल पत्नि श्री
सुरेश सिंघल के
द्वारा श्रीमती
इन्द्रा मीना पत्नि
श्री हरकेश मीना
को कर दिया
गया। तत्पश्चात
उक्त भूखण्ड का
बैचान विक्रय-पत्र
के द्वारा दिनांक
21.12.2018 को
श्रीमती इन्द्रा मीना
पत्नि श्री हरकेश
मीना के द्वारा
श्रीमती निशा
मीना पत्नि श्री
मुकेश कुमार मीना
को कर दिया
गया। आवेदिका
द्वारा उक्त
भूखण्ड की
लीजडीड जारी
किये जाने हेतु
आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु
प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

नोट :-

1. Nisha Meena S/o MUKESH KUMAR MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियां) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।
2. रक्षित पत्रावली।